राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1453/2010/भरतपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एच. के. ट्रेड़र्स, रूपवास, भरतपुर .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जतिन हरजाई, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 13/11/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 250/उपा–अपील्स/2005–06 में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.12.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 78(5) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 24.08.2005 में आरोपित शास्ति रूपये 79,481/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 11.04.2005 को प्रातःकाल 6.30 बजे एक ऑयल टैंकर जो कि रूपवास जिला भरतपुर की अनाज मण्डी में खड़ा था उसके सम्बन्ध में वाहन के आसपास खड़े व्यक्तियों से पूछताछ पर यह पाया कि उस वाहन में सरसों तेल वजन 70 क्विंटल 65 किग्रा. भरा हुआ था जो 45 ड्रम में भरा माल को खाली करकर भरा गया था। पूछताछ में उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि वह माल स्थानीय बाजार से क्रय किया गया है। इस जांच एवं पूछताछ के दौरान ही टैंकर चालक द्वारा वह टैंकर रूपवास से धौलपुर की ओर भगा के ले जाया गया। इस तरह के तथ्यों को जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में प्रकट किया गया है जिसमें यह भी अंकित किया गया कि पूछताछ में फर्म मालिक के पिता श्री ओमप्रकाश अग्रवाल एवं उनके पुत्र तथा दूसरे एक अन्य पुत्र जिनके नाम नहीं बताये गये हैं, उनके द्वारा टैंकर को भगा ले जाने के निर्देश से भगाकर ले गये थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 11.04.2015 को ही सम्बन्धित थानाधिकारी को एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई जिसमें वह माल प्रत्यर्थी व्यवहारी मैसर्स एच.के. ट्रेडर्स का होना प्रकट किया गया एवं इन तथ्यों के साथ प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर राजस्थान विक्रय

लगातार.....2

कर अधिनियम, 1994 की धारा 78(5) एवं 78(8) के तहत शास्ति की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी एवं उनके जवाब को अस्वीकार कर शास्ति रूपये 79,481/— का आरोपण किया गया जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी के स्पष्टीकरण को उचित मानते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय में मुख्य रूप से यह विधिक आधार दिया है कि माननीय राजस्थान विक्रय कर अधिकरण द्वारा **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम सीताराम पुत्र मदनलाल (1994) 13 एस.टी.ए. 155** में दिये गये निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसर माल का परिवहन में नहीं होने की स्थिति में अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता अर्थात् शास्ति का आरोपण केवल परिवहन के दौरान बनाये गये अभियोग के मामले में ही किया जा सकता है।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार यह सत्य है कि जांच अधिकारी द्वारा अनाज मण्डी में सरसों के तेल से भरे हुए टैंकर की जांच की थी परन्तु माल के मालिक श्री ओमप्रकाश एवं उनके पुत्र द्वारा असहयोग करने एवं अन्य व्यापारियों का सहयोग लेते हुए जांच करने में बाधा उत्पन्न कर वाहन को भगा दिया गया था ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शाास्ति का आरोपण किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की थी बल्कि माल का परिवहन बिना दस्तावेजों के किये जाने से उस पर शास्ति का आरोपण विधिसम्मत किया गया था, फलतः अपीलीय आदेश को अपास्त कर शास्ति आदेश को बहाल किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है क्योंकि जिस टैंकर में माल होना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया था वह टैंकर प्रथमतया अनाज मण्डी में ही खड़ा था एवं कोई परिवहन प्रारम्भ नहीं हुआ था ऐसी स्थिति में परिवहन के दौरान दस्तावेजों के नहीं होने का अपराध कारित होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है अतः इसी बिन्दु पर प्रकरण चलने योग्य नहीं रहता है तथा इसी आधार पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश को निरस्त किया है जो पूर्णतया विधिसम्मत है।

5. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने कथन किया कि जांच अधिकारी द्वारा समस्त तथ्य गलत रूप से प्रस्तुत किये हैं कि उनके द्वारा वाहन को भगाकर ले जाया गया था जबकि वह वाहन खराब था एवं टायर खराब होने से उसकी रिपेयरिंग उसी दिन करवाई गई थी जिसका शपथपत्र भी पेश किया गया था,

लगातार.....3

जिसे बिना आधार अस्वीकार किया गया है एवं यह भी कथन किया कि यदि यह मान भी लिया जाये कि वाहन को भगाया गया था तब भी उस वाहन को चैकपोस्ट घाटोली पर रोका जा सकता था जैसा कि जांच अधिकारी द्वारा उसे धौलपुर ले जाना बताया गया है इस तरह प्रत्यर्थी के विरूद्ध कथित वाद असत्य एवं आधारहीन है।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके विरूद्ध दिनांक 13.04.2005 को नोटिस जारी किया गया जबकि यह प्रकरण दिनांक 11.04.2005 का होना बताया गया है ऐसी स्थिति में यह नोटिस भी परिवहन के समाप्त होने के पश्चात् दिया गया है जो अविधिक होने से अपास्तनीय है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने यह भी कथन किया कि न तो टैंकर में रखे माल का नापतौल किया गया है न उसका भौतिक सत्यापन किया गया बल्कि केवल कल्पना और पूछताछ के आधार पर शास्ति का आरोपण किया गया है जो अनुचित है।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. रेकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी को प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सहयोग प्राप्त नहीं हुआ परन्तु यह भी सत्य है कि टैंकर अनाज मण्डी में खड़ा था एवं पूछताछ में उसमें माल भरा होना बताया गया था। यह तथ्य भी जांच रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि वाहन में केवल माल भरा गया था एवं उसका परिवहन प्रारम्भ नहीं हुआ था ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 78(2) का अभियोग स्थापित नहीं होता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में कि माल कहां से और कैसे प्राप्त हुआ था, जांच नहीं की गई एवं केवल आसपास खड़े व्यक्तियों के बयानों के आधार पर प्रकरण बनाया गया था जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मय शपथपत्र जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था ऐसी स्थिति में केवल संदेह के आधार पर जो अभियोग बनाया गया था वह विधिक दृष्टि से उचित नहीं है एवं अधिनियम की धारा 78(2) के तहत अभियोग संस्थापित नहीं हो सकता है, इसी आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। अपीलीय निर्णय में कोई विपरीत तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दु नहीं होने से अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

9. फलतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य